201

FAX

संख्या– / XVIII(1)/2011–1/2006

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 25 नवम्बर 2011

विषयः–उप जिलाधिकारी कार्यालय कीर्तिनगर के भवन निर्माण का प्रारम्भिक पुनरीक्षित आगणन का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–428/9–128 (2007–08) दिनांक 04 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या–512/XVIII(1)/2011-1/2006 दिनांक 05 अगस्त, 2011 एवं शुद्धि पत्र आदेश संख्या–1155/XVIII(1)/2011-1/2006 दिनांक 30 अगस्त, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराया जाना है कि प्रश्नगत कार्य हेतु जिलाधिकारी, टिहरी के पत्र संख्या–3134 /9–3 (रा0सहा0) दिनांक 03.08.2006 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन लागत ₹ 80.38 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 75.66 लाख के विरूद्ध शासनादेश संख्या–671/18(1)/2006 दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा ₹ 50.00 लाख एवं शासनादेश संख्या–1964/18(1)/2008 दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा अवशेष धनराशि ₹ 25.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी तदोपरान्त जिलाधिकारी, टिहरी के पत्र संख्या–2040/9–128 (2007–08) दिनांक 01 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक पुनरीक्षित आगणन ₹ 99.75 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 90.99 लाख के शासनादेश संख्या–512 /XVIII (1)/2011-1/2006 दिनांक 05 अगस्त, 2011 एवं शुद्धि पत्र आदेश संख्या–1155/ XVIII(1)/2011-1/2006 दिनांक 30 अगस्त, 2011 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 60.99 लाख की धनराशि व्यय करने की अनुमति दी गयी।

2.1– चूंकि प्रश्नगत कार्य हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक पुनरीक्षित आगणन में नये कार्य प्राविधानित नही थे अतः पुनरीक्षित आगणन के विरूद्ध औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 90.99 लाख में से पूर्व में शासनादेश संख्या–671/18(1)/2006 दिनांक 14 सितम्बर, 2007 एवं शासनादेश संख्या–1964/18(1)/2008 दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 75.66 लाख को समायोजित करते हुए धनराशि ₹ 15.33 लाख ही अवमुक्त किया जाना अवशेष था। शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2011 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 60.99 लाख अवमुक्त की गयी है जो ₹ 45.66 लाख अधिक है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि प्रश्नगत कार्य हेतु वर्तमान में प्रा0 पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 90.99 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 75.66 लाख के समायोजन के उपरांत चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 15.33 लाख ही व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि के व्यय के उपरांत स्वीकृत आधिक्य धनराशि ₹ 45.66 लाख राजकोष में जमा कराये जाने की कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना से शासन को अवगत कराया जाय।

2–

(4)

4– वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 15 अगस्त, 2011 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनु सचिव

संख्या– 1560 (1)/XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनु सचिव